24/08/2021	वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वकील उभयपक्षकार द्वारा हस्तग्रत प्रकरण में बहस करते हुए निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विधि का पालन नही किया गया है हस्तगत प्रकरण में केवल मात्र पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। वकील अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण में पूर्व में हाजा न्यायालय मे अपील संख्या 91/2016 पेश की गई थी जिसके निर्णय दिनांक 21.03.2018 को अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कर आदेश दिया गया था की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत आदेश पारित करे। जिसकी पालना नही की गई उसी पुरानी पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अतः पुनः उभयपक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई एवं रास्ते की निकटतम एवं लघुतम दुरी के रास्ते का मौका निरीक्षण किया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को लोटाया जाने का आदेश फरमावे। वकील उभयपक्षकार की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतित नही होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 126/2018 में अनवान भैराराम वगैरा बनाम शांति वगैरा में पारित निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 23.12.2020 को अपास्त किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकरान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। जिसमें मौका रिपोर्ट सक्षम अधिकारी यथा आर.आई या तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट पक्षकारो की मौजूदगी में तलब कर पुनः न्यायसंगत आदेश पारित करें। मत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	